

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 216 / 2012 / झुंझुनु

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,

घट-द्वितीय, वृत-झुंझुनु।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुभाष एन्टरप्राइजेज,

खेतड़ी रोड, सिघांना, झुंझुनु।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,

उप राजकीय, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी,

अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19 / 05 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 169/आरवेट/झुंझुनु/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत-झुंझुनु (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25(1), 18(1), 18(2), 55, 58, 64 के तहत रिवर्स टैक्स ₹ 39,479/- ब्याज 11,876/- ₹ को अपास्त किया है। जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवरण पत्रों के साथ संलग्न प्रारूप का अवलोकन करने पर पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स मन्त एन्टरप्राइजेज से कर योग्य माल कीमतन ₹ 3,15,838/- का खरीदना दर्शाया है। जिस पर चुकाये गये कर ₹ 39,480/- को आगत कर के रूप में क्लेम किया। विक्रेता टिन न. 09391504808 ने उक्त बिक्री को नोटिस जारी करने की दिनांक 08.03.2010 तक विवरण पत्रों में दर्शाया हुआ था परन्तु बिक्री पर वसूला गया वैट राजकोष में जमा नहीं होने के आधार पर आई.टी.सी का क्लेम प्रत्यर्थी को नहीं दिया गया जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी के क्लेम को स्वीकार करने के आदेश दिये गये। जिससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।



लगातार.....2

3. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।


4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज अपास्तनीय है। व्यवहारी द्वारा की गई खरीद व बिक्री बहियात में दर्ज है। क्रेता फर्म को खरीद पर आई.टी.सी. क्लेम नहीं दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को आई.टी.सी. का लाभ नहीं दिया जो कि अधिनियम की धारा 18(3) के विरुद्ध है। विक्रेता फर्म द्वारा दाखिल की गई विवरणी में क्रेता फर्म को दर्शायी बिक्री वैट-9 में दर्शायी गयी थी एवं खरीद में वैट-7 में दर्शाई थी। प्रत्यर्थी द्वारा माल का क्रय विधिक बिल से किया गया था लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रेता व्यवहारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई। अतः ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा मांगे गये आईटीसी क्लेम को अस्वीकार किया जाना व धारा-55 के तहत ब्याज आरोपित किया जाना नियम विरुद्ध है।

बहस के दौरान अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि यदि विक्रेता व्यापारी द्वारा यह कर जमा नहीं करवाया गया है तो उससे कर वसूली का कार्य केवल विभाग ही कर सकता है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत समस्त न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन व ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट है कि कर निर्धारण ने अपने आदेश में विक्रेता व्यवसायी द्वारा केवल कर जमा नहीं होने के आधार पर आई.टी.सी क्लेम अस्वीकृत किया है परन्तु विक्रेता के संव्यवहार को वास्तविक नहीं होने या बोगस होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य नहीं दिया है एवं न ही आधार लिया है फलतः क्रेता के संव्यवहार सद्भावी होने से उन पर आईटीसी क्लेम देने का अपीलीय आदेश विधिसम्मत है।

6. उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


के.एल.जैन
(सदस्य)